-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.01.2025

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 03 हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 28.01.2025 को वादी श्री असलम पुत्र जहूर अहमद निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. अरशद पुत्र शरीफ, 2. अलीशान पुत्र अरशद निवासीगण ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर तथा 3. तलहार उर्फ तल्हा पुत्र शहजाद निवासी ग्राम छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र अनस की मोटर साईकिल का पहिया अरशद को लगने पर देख लेने की धमकी देने जिसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर गाली गलौच करते हुए वादी व वादी के पुत्र अनस पर जान से मारने की नियत से चाकूओ से वार करने तथा बीच बचाव करने आये वादी के भतीजे मोहसिन के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट करने तथा वादी के लडके अनस को उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 46/25 धारा 333/109/103(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक देवबन्द को आदेश-निर्देश दिये गये थे ।** आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 29.1.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना में **03 वांछित अभियुक्तगण 1. अरशद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, 2. अलीशान पुत्र अरशद निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 3. तलहार उर्फ तल्हा पुत्र शहजाद निवासी ग्राम छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को भायला रोड़ पर नये रेलवे अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद । अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः-** पूछताछ करने अभियुक्त अरशद उपरोक्त ने बताया कि हमारी कल अनस से दिन के करीब 12 बजे हमारे घर के सामने मोटरसाइकिल की साईड लगने को लेकर कहासुनी हो गयी थी। जिस कारण अनस ने हमें गाली दी थी। और अनस अपने घर चला गया था । ये बाते मैने अपने पुत्र आलीशान व उसका दोस्त तलहार उर्फ तल्हा जो हमारे घर पर आया हुआ था बताई थी। मेरे पुत्र आलीशान ने तलहार उर्फ तल्हा को घर से चाकू दिया था। फिर मै व मेरा पुत्र अलीशान और उसके दोस्त तलहार उर्फ तल्हा तीनो साथ मिलकर अनस को मजा चखाने के लिये समय करीब 14.00 बजे अनस के घर पर पहुंचे तो अनस अपने घर के अंदर था तब हमने गुस्से में उसे ललकारा तो वह भी तैश में आ गया। तब मैंने अनस के हाथ पकड़ लिये और अलीशान ने तल्हा से चाकू से वार करने को कहा था तब तलहार उर्फ तल्हा ने गुस्से में अनस के कमर और पेट में चाकू से कई वार किये थे। बीच बचाव करने आये मोहसीन को भी चाकू लग गया था। झगडे मे अलीशान को भी बांये हाथ मे खरोंच के लग गयी थी। उसके बाद हम तीनो वहाँ से भाग गये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

1. तलहार उर्फ तल्हा पुत्र शहजाद निवासी ग्राम छुटमलपुर थाना फतेहपुर सहानरपुर
2. अरशद पुत्र शरीफ निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबंद सहारनपुर
3. अलीशान पुत्र अरशद निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबंद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 हत्या मे प्रयुक्त चाकू

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना देवबन्द सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री के0पी0सिह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. है0का0 274 रवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
6. है0का0 22 विनोद थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

**दिनांकः 29.01.2025**

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्तों को पीसीआर पर लेकर अभियुक्तो की निशादेही से 02 लोहे के बाट (50-50 किलो) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 22.01.2025 को वादी राशिद चौहान पुत्र शफक्कत अली निवासी ग्राम ढिक्काकला थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि में गन्ना क्रय केन्द्र साल्हापुर द्वितीय पर रखे 50-50 किलो के कुल 10 बाट चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 303(2) भा0न्या0सं0 पंजीकृत किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्तगण 1.कमल उर्फ गुड्डु पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.सुखविन्द्र पुत्र मलकीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता मौ0 राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा स0पुर 3.अमनदीप पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये थे। सभी अभियुक्तगण वर्तमान में जिला करागार सहारनपुर में निरूद्ध है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा अति0निरीक्षक सिराजूद्दीन के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 29.01.2025 को मा0 न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **03 अभियुक्तगण 1.कमल उर्फ गुड्डु पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर, 2.सुखविन्द्र पुत्र मलकीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता मौ0 राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 3.अमनदीप पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तो की निशादेही पर ग्राम साल्हपुर के जंगल से चोरी गये 50-50 किलो के 02 लोहे के बाट बरामद किये गये। अभियुक्तगण को बाद कराकर मेडिकल पीसीआर की समयावधी के अन्दर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पीसीआर पर लिये गये अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1. कमल उर्फ गुड्डु पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम सांपला थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. सुखविन्द्र पुत्र मलकीत सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर हाल पता मौ0 राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा स0पुर
3. अमनदीप पुत्र फकीर सिंह निवासी मौ0 राधास्वामी कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

**अभियुक्त कमल उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0स0 24/2011 धारा 323,327,387,452,504,506 भादवि थाना नकुड़ स0पुर,
2. मु0अ0सं0 626/2011 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना नकुड़ स0पुर,
3. मु0अ0स0 587/2010 धारा 13जी एक्ट थाना नकुड़ स0पुर
4. मु0अ0सं0 26/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा स0पुर

**अभियुक्त सुखविन्द्र का अपराधिक इतिहासः**

1. मु0अ0सं0 182/20 धारा 147,148,149,323,325,452 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 26/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा स0पुर

**अभियुक्त अमनदीप का अपराधिक इतिहासः**

1. मु0अ0सं0 26/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सरसावा स0पुर

**बरामदगी का विवरण-**

02 लोहे के बाट 50-50 किलो के

**पीसीआर पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-**

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2434 मनीष कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 497 गौरव कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 1921 विकास कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक 29.01.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा भारतीय जाली मुद्रा प्रयोग करने के मामलें में 10,000/- रूपये के ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर 7000/- रूपये की भारतीय जाली मुद्रा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी/ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान भारतीय जाली मुद्रा के प्रयोग के मामलें में 01 **वांछित 10,000/- ईनामी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासी कमलानगर निकट रविदास आश्रम फरकपुर थाना फरकनगर हरियाणा** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 257/24, धारा 178/179/180 बीएनएस में 3बी-2 मोहाली मार्केट की पार्किग थाना क्षेत्र मोहाली (पंजाब) से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त अजय कुमार उपरोक्त की निशादेही पर **7000/- रूपये की भारतीय जाली मुद्रा** बरामद । अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त अजय उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मुझे व मेरे भाई को एक आन्टी पंजाब से नकली नोट लाकर देती थी जिसका नाम पता मै नही जानता हूँ । आन्टी से नकली नोट लेकर सहारनपुर में अपने साथी के साथ मिलकर सहारनपुर शहर में लाकर सप्लाई करते थे इसमें हमे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अजय कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासी कमलानगर निकट रविदास आश्रम फरकपुर थाना फरकनगर हरियाणा

### अभियुक्त अजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 मु0अ0सं0 257/24, धारा 178/179/180 बीएनएस थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु0अ0स0 206/21 धारा 420/171/120बी भादवि थाना बुटाना जिला करनाल हरियाणा
3. मु0अ0स0 303/18 धारा 420/406/506 भादवि थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा

### बरामदगी का विवरणः-

- जाली मुद्रा 7000/- रूपये

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री कंवरपाल सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 960 सचिन तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 29.01.2025

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी मे वांछित 01अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाक 09.11.24 को वादी श्री अमित पुत्र श्याम थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण सन्नी पुत्र दौलतराम निवासी खुर्द जनता रोड जनकपुरी व नितिन पुत्र राजेश कुमार जगरौली थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर व 01 अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की गाय चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 439/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अपराध नियन्त्रण तथा वाछित अभियुक्त/वारण्टी की गिरफ्तारी व अभियान चलाया जा रहा है।** अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारन श्री संजीव कुमार के कुशल नेत्तृव में दिनांक 29.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये **अभियुक्त 1.विशाल पुत्र राजेश निवासी ग्राम जगरौली थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम जगरौली से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त मे पूर्व मे नामजद अभियुक्तो से बरामदगी के आधार धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विशाल पुत्र राजेश निवासी ग्राम जगरौली थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 दीक्षा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. है0का0 391 मनोज कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
4. का0 339 दीपक भारद्वाज थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.01.2025

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 840 रूपये व 01 मोबाईल फोन बरामद,

अवगत कराना है कि दिनाँक 28.01.025 को वादी श्री विकास त्यागी एडी स्व0 देवदास त्यागी निवासी CH N0- 2024 सिविल कोर्ट बी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादी की पेंट की जेब से पर्स चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 50/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.01.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त 1.सन्नी पुत्र चमन लाल नि0 चुन्हटी गाढा थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को रेलवे 100 क्वाटर चन्द्रनगर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 840 रुपये व 01 मोबाईल टैक्नो स्पार्क सिक्स गो रंग नीला बरामद हुए। अभियुक्त से बरामद मोबाईल से सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 51/2025 धारा 317(5) पंजीकृत किया गया। है। बरामद 840 रूपये के आधार पर मु0अ0स0- 50/2025 धारा 303(2) बी.एनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण** - अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 28.01.25 को दोपहर कोर्ट से अपने एक साथी के साथ मिलकर एक पर्स चोरी किया था। जिसमे लगभग 3000 रू0 व अन्य कागजात मिले थे। जिनमे से 840 रू0 मेरे पास है बाकी पैसे हमने खर्च कर दिये थे। खाली पर्स हमने फेंक दिया था तथा यह मोबाईल मैने दिनाक 24.01.25 को कचहरी के पास से चोरी किया था। हम दोनो नशा करते है इस लिए अक्सर चोरी आदि करते रहते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- सन्नी पुत्र चमन लाल निवासी चुन्हटी गाढा थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।

अभियुक्त सन्नी का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 639/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद, सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोबाईल टैक्नो स्पार्क सिक्स गो रंग नीला
- 840 रुपये नगद

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 881 धीरज थाना सदर बाजार जनद सहारनपुर।
3. है0का0 159 गौरव पुनिया थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 616 अमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारपुर।

दिनांक: 29.01.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11.60 ग्राम अवैध स्मैंक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अवैध मादक/नशीले पदार्थों की रोकथाम एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त **इन्तजार पुत्र ताहिर नि0 ग्राम बेरखेडी थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 11.60 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

इन्तजार पुत्र ताहिर नि0 ग्राम बेरखेडी थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 39/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 232/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1835 सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1344 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.01.2025

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना देवबन्द पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.01.2025 को वादिया मधु पत्नी अजय कुमार नि0 मझौल जबरदस्तपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा थाना देवबंद उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.प्रमोद पुत्र बालेश्वर 2.विनोद पुत्र बालेन्द्र 3.आशीष पुत्र प्रमोद 4.मिलन पुत्र सुधीर निवासीगण ग्राम मझौल जबरदस्तपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादिया व वादिया के पति के साथ जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो व बलकटी से मारपीट करना जिसमें वादिया के पति अजय कुमार को गम्भीर चोट आ जाना व गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 38/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **विनोद पुत्र बालेश्वर निवासी ग्राम मझौल जबरदस्तपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान साकन नहर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–**

विनोद पुत्र बालेश्वर नि0गण ग्राम मझौल जबरदस्तपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र 40 वर्ष

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 दांती (गन्ना छोलने)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 संदीप कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का0 949 विकास थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. का0 1830 शुभम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर